फार्म-24 (कृपया नियम-32 देखें) पेंशन के लिए सेवा-सत्यापन का सर्टीफिकेट फार्म

संख्याः -----

	भारत सरकार, मंत्रालयः	
	विभागः रा-ट्रीर	य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान,
	नई 1	दिल्ली
	दिनांकः	
	प्रमाण-पत्र	
लेखा अधिकारी, रा-टीय	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान	। के परामर्श से यह प्रमाणित किया
जाता है कि श्री, (पदनाम) द्वारा निम्नलिखित विवरण के अनुसार		
दिनांकः को संस्थान में वर्ग माह दिन की अर्हक-सेवा पूरी		
कर ली गई है। सेवा का सत्यापन, उनके सेवा संबंधी दस्तावेजों तथा वर्तमान में लागू अर्हक-सेवा संबंधी		
नियमों के आधार पर किया गया है। केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 के नियम-32 के उप-नियम (1) तथा (2) के अंतर्गत सेवा के सत्यापन को फाइनल माना जायेगा तथा जब तक कि पेंशन		
के लिए अर्हक-सेवा के अन्तर्गत शर्तों को शासित करने संबंधी नियमों तथा आदेशों में हुए अनुवर्ती		
परिवर्तन द्वारा आवश्यक न हो, तब	ा तक मामले को पुनः खोला नहीं ज	ायेगा।
अर्हक-सेवा संबंधी विवरण		
	से	तक
1.		
2.		
3.		
		कार्यालयाध्यक्ष के हस्ताक्षर
सेवा में,		
श्री		
नाम तथा पदनाम		